राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	246/2020	

27/8/20

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह स्पष्ट है की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी छितर पुत्र स्व. छोटू जो इस अपील के रेस्पो. संख्या 1 है की इकतरफा बहस समायत कर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को आदेश जैर अपील दिनांक 25/09/2019 के माध्यम से प्रतिबन्धित फरमाया जाकर आगामी पेशी दिनांक 22/10/2019 की गयी एवं दिनांक 22/10/2019 को आगामी पेशी दिनाक 15/11/2019 नियत की गयी, तथा पेशी दिनांक 15/11/2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में अंकित किया गया कि "पत्रावली पेश हुई | प्रार्थी अधिवक्ता अनु./वास्ते तामिल/जवाब दिनांक 03/12/2019 को पेश हो" एवं पुन: आदेशिका दिनांक 03/12/2019 को अंकित किया गया कि "पत्रावली पेश हुई | उभयपक्ष अनुपस्थित / पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06/12/2019 को पेश हो |" तत्पश्चात सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोहर अंकित कर आगामी पेशीया निरन्तर अंकित की गयी | जिससे स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर प्रार्थीगण निरन्तर अनुपस्थित एवं उदासीन रहे | ऐसी परिस्थिति में सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि उनके समक्ष प्रार्थी निरन्तर अनुपस्थित/उदासीन रहा है तो उसे कोई लाभ प्रदान किया जाकर इस सम्बन्ध में विधिक प्रकियाओ के अध्यधीन प्रकरण को अदम पैरवी व अदम हाजरी में निस्तारित करते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर प्रार्थी के निरन्तर दौ पेशीयो पर अनुपस्थित रहने के पश्चात भी तारीख दर तारीख मोहर अंकित कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 के विपरीत आदेश जैर अपील का प्रभाव कायम रखा एवं उसके माध्यम से अपीलार्थीगण को जो आदिनांक तक प्रतिबन्धित कर रखा है, वह न्यायसंगत प्रतीत नही होता है तथा ऐसी अविधिक प्रक्रियाओ के द्वारा कायम रखे आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में मियाद का बिन्दु बाधा उत्पन्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बाबूलाल / दीतर

तारीख हुक्म	246/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... हुक्म के ... में जारी
	नही करता है एवं चुंकी इस न्यायालय के समक्ष अब दोनों पक्ष उपस्थित आ गये है, अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे। तब तक एकपक्षीय आदेश जैर अपील दिनांक 25/09/2019 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाती है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्रति सहित दिनांक 17/9/2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 27/8/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर